न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./25/2026/बाड़मेर

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
मेघाराम पुत्र कोहलाराम, जाति राईका, निवासी बायतु चिमनजी, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।	1. सिमरजीतकौर पत्नी हरजीतकौर, जाति जट सिख, निवासी बायतु भोपजी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 2. जोगाराम पुत्र खानूराम 3. नारणाराम पुत्र कोहलाराम 4. मेहरोदेवी पत्नी खानूराम, जाति राईका, निवासी बायतु चिमनजी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 5. विरमाराम पुत्र भींयाराम, जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, टाकूवेरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 6. ईसराराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति जाट, निवासी 6 एन.एम. वाहला, जैसलमेर। 7. तहसीलदार, बायतु जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2025 बउनवान सिमरजीत कौर बनाम जोगाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री कैलाश एन. सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पों. सं. 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–25.02.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01/वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बायतु चिमनजी, पटवार हल्का बायतु चिमनजी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1173/1121 रकबा 4.2473 हैक्टेयर की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। मौके पर मौखिक बंटवारा हुआ हुआ है। इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं वकील उभयपक्ष की सहमति से अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली के बिना ही पत्रावली में उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01/वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बायतु चिमनजी, पटवार हल्का बायतु चिमनजी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1173/1121 रकबा 4.2473 हैक्टेयर की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। हस्तगत प्रकरण में तलब विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरित जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार किया गया है। जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में तलब विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरित तैयार किया गया प्रतीत होता है। जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना का अभाव प्रतीत होता है। वक्त बहस वकील रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2025 बउनवान सिमरजीत कौर बनाम जोगाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ निर्णय प्रति के प्रेषित की जावे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रथम लिक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर